राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राज0 जयपुर

क्रमांक एफ 5(थ–75)कोष/आईएफएमएस/22981-23115 दिनांक 28.12.11

समस्त विभागाध्यक्ष/वित्तीय सलाहकार/
मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
(संलग्न सूची अनुसार)

विषय– एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के तहत व्यय रिपोर्ट एवं पी.डी.खातों के डेटा की जांच के संबंध में ।

संदर्भ :– वित्त(आर्थिक मामलात)विभाग के पत्र क्रमांक– एफ 5(थ–75)डीटीए/ आईएफएम एस/ कोष दिनांक 15.09.2011, 13,10,2011 एवं 02.11.2011 एवं इस कार्यालय का समसख्यक पत्रांक–19477–678 दिनांक 11.11.2011 तथा पत्रांक–20948–21078 दि. 5.12.2011

महोदय,

संदर्भित पत्रों द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत व्यय रिपोर्ट एवं पी डी खातों के डेटा की शुद्धि की जांच कर यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था कि उक्त डेटा हर तरह से पूर्ण, अपडेटेड एवं शुद्ध हैं, यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे संबंधित कोषालय के माध्यम से ठीक करवाया जाए । विस्तृत व्यय रिपोर्ट एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली की बेवसाईट पर ट्रेजरी मोड्यूल के अन्तर्गत यूजर लॉगिन "GUEST"पासवर्ड GUEST" पर उपलब्ध है इसके अतिरिक्त कोषालय से सम्पर्क कर डेटा मिसमैच की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है ।

उक्त कार्य दिनांक 15.12.2011 तक पूर्ण किया जाना था एवं इसी क्रम में दिनांक 22.12.2011 से जिन आहरण वितरण अधिकारियों के डेटा अभी भी मिसक्लासिफिकेशन में हैं उनके बिल कोषालय में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत नियंत्रण प्रभावी करते हुए प्रतिबन्धित कर दिये गये । इस तिथि से लेकर अब तक आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर कुछ प्रगति करते हुए डेटा करेक्शन की कार्रवाई की गई परन्तु स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं हैं ।

आहरण वितरण अधिकारियों के विभिन्न प्रकार के दावे कोषालयों द्वारा पारित करने में होने वाले विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 20.1.2012 तक सभी विभागों को मिसक्लासिफिकेशन के डेटा की शद्धि कराने हेतु समयावधि में वृद्धि की जा रही है । इस अवधि में कोषालयों द्वारा बिल पारित किए जाने पर नियंत्रण प्रभावी नहीं रहेगा । अतः इस अवधि में आपके विभाग से संबंधित समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के एकीकृत वित्तीय

प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत मिसक्लासिफिकेशन डेटा को पूर्ण रूप से जांच कर शुद्ध करवाया जाए अन्यथा दिनांक 20.01.2012 से पुनः बिल पारित करने पर नियत्रंण प्रभावी कर दिया जाएगा । इस तिथि के बाद बिल पारित की अवधि में शिथिलता प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा ।

कृपया कार्य की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मिसक्लासिफिकेशन डेटा को शुद्ध करवाया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

निदेशक

कमांक एफ 5(थ–75)कोष/आईएफएमएस/22981-23115 दिनांक 28.12.11

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त बजट विभाग सचिवालय, जयपुर
2. समस्त कोषाधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के मिसक्लासिफिकेशन डेटा को उक्त तिथि तक अनिवार्य रूप से शुद्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
3. प्रणाली विश्लेषक(संयुक्त निदेशक) वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को वित्त विभाग की बेबसाइट पर डलवाने का श्रम करें ।
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एन आई सी, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं डीटीए की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है ।

निदेशक

**राजस्थान सरकार**

**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित हैं

क्रमांक : ए.4 ( ) लेखा/बीएनपी/2011/ 4619 जयपुर दिनांक : 29/12/2011

1. कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
3. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कार्यालय।
4. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला/उपजिला/सेटेलाईट अस्पताल।
5. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक।
6. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ।
7. समस्त, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई।
8. समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर/जोधपुर।
10. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर।
11. विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, जयपुर।
12. प्रधानाचार्य, हीराबाग जयपुर।
13. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.टी.बी.सी. अजमेर।
14. उपनिदेशक, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, जयपुर।
15. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

वरिष्ट लेखाधिकारी (बजट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज0 जयपुर